

संलग्नक सं० 1.10

भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मोटर मार्गों हेतु लो०नि०वि० को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि की अन्य प्रयोजन हेतु गारंटी नहीं है।

| क्रम सं० | मोटर मार्ग का नाम | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम | राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र | क्षेत्रफल |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | लमगड़ा से ठाठ गाँव तक मोटर मार्ग | डुमरा | गनोली | 2.340 है० |
| 2 | शहरफाटक से दो घोड़िया तक मोटर मार्ग | खोला | पनुवानौला | 9.500 है० |
| 3 | पूनागढ-नाटाडोल मोटर मार्ग से राम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग | उसीली | दर्या | 3.094 है० |
| 4 | शहरफाटक-भाबू मोटर मार्ग से ग्राम क्वेटा-सुरखाल निरई तक मोटर मार्ग | चल्थी | काफली | 5.184 है० |
| 5 | ऐरोली से मोरपट्यूडी मोटर मार्ग का निर्माण | गेना | सैलाकोट | 3.240 है० |

हिबिद
J-B

2019

प्रमाणित प्रमियता,
प्रांतीय सड़क लो० वि० वि०
भरमोड़ा, १

प्रमियता,
प्रांतीय सड़क, लो० वि० वि०
भरमोड़ा.

परियोजना का नाम- जनपद मल्होडा में राष्ट्रपालक से दो झीलियाँ का निर्माण कार्य

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04.09.2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ग्राम खोला तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा की सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दीवान सिंह बिष्ट, का दरोगा, पुननातोला राजस्व विभाग की ओर से श्री श्रीपंक वर्मा राजस्व उप निरीक्षक पुननातोला व प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री जगदीश प्रसाद कानूनी व विशोच कानूनी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि ग्राम-खोला तहसील- भनोली, जिला-अल्मोड़ा की 9.5.00 है 0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

दीवान सिंह बिष्ट
(दीवान सिंह बिष्ट)
का दरोगा
पुननातोला

जगदीश प्रसाद
(जगदीश प्रसाद)
कानूनी
श. ल. लो. नि. वि.
भनोली

विशोच कानूनी
(विशोच कानूनी)
भनोली

राजस्व उप निरीक्षक
पुननातोला, तहसील-भनोली
जिला-अल्मोड़ा